

प्रदर्श-“स”
प्रमाण पत्र

मेसर्स लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज को वाड्डफनगर बायपास मार्ग निर्माण हेतु बलरामपुर जिला में बलरामपुर वनमंडल के वाड्डफनगर अन्तर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.931 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की 0.191 हे. राजस्व वन भूमि एवं 4.740 हे. संरक्षित वन भूमि कुल 4.931 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम वाड्डफनगर, तहसील वाड्डफनगर में स्थित है मै तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **06/10/2016** प्रदर्श-“अ”, अनुविभागीय स्तरीय बैठक प्रस्ताव दिनांक **27/10/2016** एवं वन विभाग तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“ब”) पर दर्शित है ।

- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण पर ग्राम रजखेता में श्री मेहीलाल की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **06/10/2016** में रखा गया था एवं इसमें 65 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

अथवा

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे. में)
	ग्राम रजखेता	निरंक	निरंक

- यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

- यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **06/10/2016** एवं अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक **27/10/2016** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

दिनांक :- 27.10.2016

(अवनीश कुमार शरण)

कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला वनअधिकार
समिति, बलरामपुर, रामानुजगंज



प्रमाण पत्र

मेंसर्स:- लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज को वाङ्गफनगर बायपास मार्ग निर्माण हेतु बलरामपुर जिला में बलरामपुर वनमंडल के वाङ्गफनगर अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु 4.931 हे. वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की 0.191 हे. राजस्व वन भूमि एवं 4.740 हे. संरक्षित वन भूमि कुल 4.931 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम वाङ्गफनगर तहसील वाङ्गफनगर में स्थित है, में तदनुसार यह कार्य पूर्ण की गयी है।

- सामान्य सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 27.10.2016 (प्रदर्श "अ") अनुविभागीय स्तरीय बैठक प्रस्ताव दिनांक 27.10.2016 वन विभाग तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (प्रदर्श-"ब") पर दर्शित है।
- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण पर नगर पंचायत वाङ्गफनगर में श्री अमित खाखा की अध्यक्षता में हुई सामान्य सभा की बैठक दिनांक 27.10.2016 में रखा गया था बैठक में नगर पंचायत वाङ्गफनगर के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
01	02	03	04
1.	नगर पंचायत वाङ्गफनगर	निरंक	निरंक

- यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें सामान्य सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं सामान्य सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27.10.16 एवं अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 27.10.2016 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
- संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं सामान्य सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27.10.2016 के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
दिनांक:- 27.10.2016

(अवनीश कुमार शरण)

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिला वन अधिकार समिति

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
(छत्तीसगढ़)



अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति वाड्डफनगर,

जिला - बलरामपुर (छ0ग0)

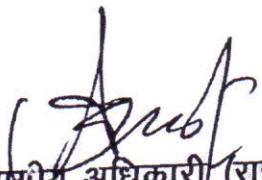
वन अधिकार मान्यता अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही विवरण

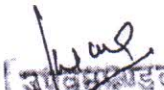
लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज द्वारा वाड्डफनगर तहसील अन्तर्गत प्रस्तावित वाड्डफनगर बायपास मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.191 हे. राजस्व वन एवं 4.740 हे. सरंक्षित वन भूमि कुल 4.931 हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत रजखेता, में दिनांक 06/10/2016 को ग्राम सभा आयोजित कर प्रभावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रभावित वन भूमि कक्ष एवं खसरा अनुसार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	खसरा/कक्ष क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रभावित रकबा (हे. में)
1	बलरामपुर	वाड्डफनगर	1084	छोटे झाड़ का जंगल	0.039
2			P- 702	सरंक्षित वन	1.521
3			1340	छोटे झाड़ का जंगल	0.081
4			1327	छोटे झाड़ का जंगल	0.071
5			P- 695	सरंक्षित वन	0.942
6			P- 694	सरंक्षित वन	1.701
7			P- 690	सरंक्षित वन	0.576
			योग		4.931

उपरोक्त विषय को दिनांक 27/10/2016 में आयोजित अनुविभागीय स्तरीय समिति वाड्डफनगर की बैठक में 4.931 हे. वन भूमि वाड्डफनगर बायपास मार्ग निर्माण हेतु गैर वानिकी प्रयोजन के लिए वनसंरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी प्रकार का पट्टा आबंटन नहीं किया गया है और न ही आबंटन करना प्रस्तावित है अतः अनुविभागीय स्तरीय समिति वाड्डफनगर द्वारा सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है ।


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)


अनुविभागीय अधिकारी (वन)


जनपद सदस्य


जनपद सदस्य

नगर पंचायत वाडफनगर की सामान्य सभा दिनांक 27/10/2016 का कार्यवाही विवरण

नगर पंचायत : वाडफनगर

स्थान : नगर पंचायत भवन वाडफनगर

आज दिनांक 27/10/2016 को नगर पंचायत वाडफनगर में अध्यक्ष नगर पंचायत की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गयी है, बैठक में नगर पंचायत वाडफनगर के सदस्य उपस्थित थे, बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. नगर पंचायत, में आवेदक कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज द्वारा प्रस्तावित वाडफनगर बायपास मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित 0.191 हे. राजस्व वन एवं 4.740 हे. संरक्षित वन भूमि कुल 4.931 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन मांग की गई है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी ।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी ।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी । जो वन भूमि वाडफनगर बायपास मार्ग निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है ।

अथवा

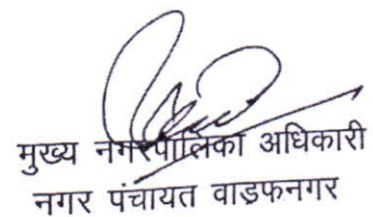
निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	वाडफनगर	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से नगर पंचायत सभा में निर्णय लिया गया कि 4.931 हेक्टेयर राजस्व एवं संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज आवेदक को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे ।


हस्ताक्षर अध्यक्ष

नगर पंचायत वाडफनगर


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत वाडफनगर

ग्राम सभा रजखेता बैठक दिनांक 06/10/2016 का कार्यवाही विवरण

ग्राम : रजखेता

स्थान : पंचायत भवन

आज दिनांक 06/10/2016 को ग्राम रजखेता में श्री मेडीलाल की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी है, बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति तारा के 65 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम रजखेता, में आवेदक कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज द्वारा प्रस्तावित वाड्डफनगर बायपास मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित 0.191 हे. राजस्व वन एवं 4.740 हे. संरक्षित वन भूमि कुल 4.931 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन मांग की गई है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी ।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी ।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी । जो वन भूमि वाड्डफनगर बायपास मार्ग निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है ।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	ग्राम रजखेता	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 4.931 हेक्टेयर राजस्व एवं संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज आवेदक को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे ।

हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत रजखेता

हस्ताक्षर सचिव
ग्राम पंचायत रजखेता
ग्राम पंचायत रजखेता
जिला बलरामपुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर अध्यक्ष
ग्राम वन समिति रजखेता

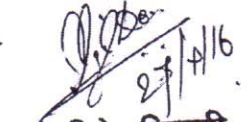
पंचनामा

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा तहसील वाइफनगर अन्तर्गत प्रस्तावित वाइफनगर बायपास मार्ग निर्माण कार्य में जिला/वनमण्डल बलारामपुर अन्तर्गत 0.191 हे. राजस्व वन, एवं 4.740 सरंक्षित वन कुल 4.930 हे. वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए प्रभावित वन भूमि का आज दिनांक 27/10/16 को वन परिक्षेत्र अधिकारी वाइफनगर एवं तहसीलदार वाइफनगर के द्वारा स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया है, मार्ग में प्रभावित वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता अधिनियम अन्तर्गत किसी प्रकार का आबंटन नहीं है और ना ही आबंटन प्रस्तावित है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

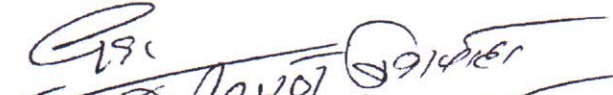

तहसीलदार
वाइफनगर


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वाइफनगर


पुंजय नरेश

महेश प्रजापति

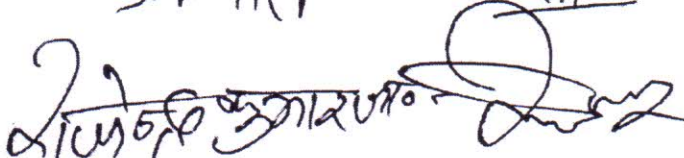
 सरोज


जय/शिवजी शिवजी
जय/शिवजी

मानक/उद्योग, 

महेश प्रजापति 

महेन्द्र निवारी - मा.प्र.


विज्ञापित